



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

पत्रांक: F.-1(9)/LBSNSU/ G.T./Admin-1/2025-26/1590

दिनांक 02.01.2026

संशोधित अधिसूचना

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली शैक्षणिक सत्र- 2025-26 के लिए दर्शन पीठ के अन्तर्गत योग विभाग हेतु निम्नलिखित सहायक आचार्य (अतिथि) (Guest Faculty) के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रम संख्या	विभाग	सहायक आचार्य (अतिथि) संख्या
01.	योग विभाग	01

सहायक आचार्य (अतिथि)
1,500/- रुपये प्रति व्याख्यान तथा अधिकतम 50,000/- रुपये प्रति माह जो भी कम हो देय होगा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अन्तर्गत योग विभाग के सहायक आचार्य (अतिथि) के लिए आवश्यक योग्यता निम्न प्रकार है:-

उत्तम शैक्षणिक रिकॉर्ड, जिसमें योग या किसी अन्य संगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) या किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो।

उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)/सीएसआईआर (CSIR) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की हो, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा जैसे SLET/SET उत्तीर्ण की हो, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो या कर रहे हों।

नोट: विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका ३क) और महाविद्यालयों के लिए परिशिष्ट II (तालिका ३ख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

नोट:- संस्कृत माध्यम में अध्यापन करने की क्षमता अनिवार्य है तथा योग अतिथि अध्यापक को अध्यापन के साथ-साथ योग प्रशिक्षण के कार्यों का भी निर्वहन करना पड़ेगा।

01. सहायक आचार्य (अतिथि) के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.slbsrsv.ac.in से Download किया जा सकता है।

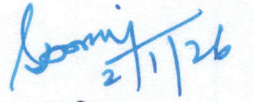
02. निर्धारित आवेदन-पत्र को विधिवत रूप से पूर्ण कर संलग्न प्रपत्रों सहित स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/स्वयं कार्यालय में आकर कर कुलसचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016 के नाम अन्तिम तिथि दिनांक 15 जनवरी, 2026 तक प्रेषित कर सकते हैं। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

03. चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेंगी। सम्बन्धित उम्मीदवारों को चाहिए कि वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट को लगातार देखें तथा योग्य अभियर्थियों को सहायक आचार्य (अतिथि) पद के लिए साक्षात्कार हेतु सभी मूल प्रमाण एवं उनकी छायाप्रति के साथ लाना अनिवार्य है।

Sanjay
2/1/26

कृ.पू.उ.

04. विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति से पहले किसी भी समय इस नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
05. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने आवेदन में फर्जी/गलत दस्तावेज/प्रमाण-पत्र/दावा या विवरण प्रस्तुत किया है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जा सकती है/नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।
06. सहायक आचार्य (अतिथि) को विभागाध्यक्ष/पीठाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गए शिक्षण और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जिसकी समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा ।
07. सहायक आचार्य (अतिथि) की नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए है, जिसे नियंत्रण अधिकारी की एपीआई रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
08. सहायक आचार्य (अतिथि) को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा ।
09. इस अधिसूचना में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे नियमानुसार संशोधित किया जाएगा ।
10. सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार इस अधिसूचना को निरस्त भी किया जा सकता है ।

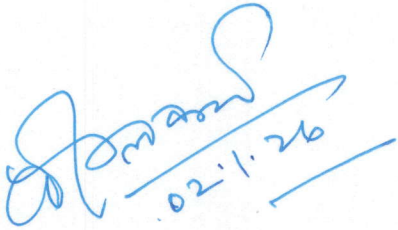

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि:-

- ✓ 01. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।
02. विश्वविद्यालय के सभी सूचना पट्ट
03. समस्त पीठाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
04. सहायक कुलसचिव (कुलपति कार्यालय)
05. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव
06. संबंधित पत्रावली


(कुलसचिव)




02.11.26